संख्याःआर0ए0—प्रथम / सत्ताइस—1(2009—10) 2207 दिनांकः 17-5-10

प्रेषक,

आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल,
फैजाबाद।

सेवा में,

सचिव,
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र—2 समुदाय केन्द्र,
प्रति बिहार, नई दिल्ली।

विषयः सैनिक पब्लिक स्कूल नवाबगंज, बाराबंकी को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिया जाना।

महोदय,

संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद द्वारा प्रेषित सैनिक पब्लिक स्कूल ग्राम ओबरी, परगना नवाबगंज, जनपद बाराबंकी को सी0बी0एस0ई0, नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु अनापत्ति प्रमाण—पत्र दिये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव पर शासनादेश संख्या—1916 / 15—7—09—1(299) / 2007, दिनांक 14 जुलाई, 2009 में वर्णित प्राविधानों के अन्तर्गत गठित समिति के सदस्यों की संस्तुति एवं सम्यक विचारोपरान्त निम्नलिखित शर्तो के अधीन अनापत्ति प्रदान की जाती है।

1. विद्यालय की पंजीकृत सोसाइटी का समय—समय पर नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति / जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित होंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद / बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिये निर्धारित शुल्क से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा।
3. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता सेन्ट्रल बोर्ड आफ सेकेन्ड्री एजूकेशन, नई दिल्ली / कौन्सिल फार दि इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन, नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने की तिथि से उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा प्रदत्त मान्यता राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगें।
4. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें।
5. कर्मचारियों के सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों को अनुमन्य सेवानिवृत्ति का लाभ उपलब्ध करायेंगे।
6. राज्य सरकार द्वारा समय—समय पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेगें, संस्था उनका पालन करेगी।
7. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र / पंजिकाओं में रखा जायेगा।
8. प्रतिबन्धों को सोसाइटी के बाइलाज में सम्मिलित किया जाय।

उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिये अनिवार्य होगा और यदि किसी समय यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है, अथवा पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो अनापत्ति वापस ले लिया जायेगा।

भवदीय,

(राजीव कुमार)
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2. शिक्षा निदेशक (मा0), उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
3. संयुक्त शिक्षा निदेशक, फैजाबाद मण्डल, फैजाबाद को मूल प्रस्ताव/पत्रावली के साथ प्रेषित।
4. जिलाधिकारी, बाराबंकी।
5. जिला विद्यालय निरीक्षक, बाराबंकी।
6. निरीक्षक आंग्ल भारतीय विद्यालय, उ0प्र0, लखनऊ।
7. प्रबन्धक, सैनिक पब्लिक स्कूल, नवाबगंज, बाराबंकी।

(राजीव कुमार)
आयुक्त,
फैजाबाद मण्डल।